

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,
(उधमसिंहनगर)।

दूरभाष संख्या 05944-242552

Website. www.ucdfaanchal.org

पशु—पक्षी आहार/साइलेज/मिनरल मिक्चर/काम्पैक्ट फीड के परिवहन
हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र क्रमांक —

निविदा पत्र मूल्य —1180.00 (जी0एस0टी0 सहित)

निविदा सूचना संख्या 03/पशु—पक्षी आहार/साइलेज/मिनरल मिक्चर/काम्पैक्ट
फीड ब्लॉक 2025—26
दिनांक 20/05/2025

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)।

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर, (उधमसिंहनगर)।

पशु—पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर/काम्पैक्ट फीड परिवहन हेतु निविदा फार्म (शर्तों सहित)

- (01) नाम—निविदादाता.....
 (02) पिता/पति का नाम.....
 (03) स्थाई पता.....

(04) पत्र व्यवहार का पता.....

(05) फोन/दूरभाष संख्या.....(ख) मोबाईल नम्बर.....

(06) वाहनों का प्रकार एवं उनकी भार क्षमता का विवरण (प्रपत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें)
 1.

2.

(07) निविदा प्रपत्र मूल्य धनराशि..... दिनांक.....रसीद संख्या.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक..... धनराशि.....

बैंक का नाम.....

(08) अर्नेस्ट मनी का विवरण :—(क) बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... धनराशि.....

बैंक का नाम.....

(ख) नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....

(09) निविदादाता तकनीकी बिड के साथ निम्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें।

क. परिवहनकर्ता/फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

ख. फर्म/निविदादाता का पैन कार्ड नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति। .

ग. निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

घ. वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस एवं परमिट जो निविदा के समय वैद्य हो के सभी प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

ड. निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति

च. धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति।

हस्ताक्षर

नाम परिवहनकर्ता.....

स्थायी पता.....

मोबाईल नम्बर.....

पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)

पशु –पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन हेतु प्रति कुन्तल परिवहन दरों का विवरण (दर अंकन प्रपत्र)

निविदादाता को सभी स्थानों/स्टेशनों हेतु दरें दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में वितीय बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र० सं०	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि दुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)	काम्पैक्ट फीड दुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)
1	2	3	4
	जनपद-नैनीताल (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
1	रामनगर		
2	भीमताल		
3	रामगढ़		
4	मुक्तेश्वर		
5	धारी		
6	बेतालघाट		
7	कोटाबाग		
8	बैलपड़ाव		
9	कालाढुंगी		
10	चोरगलिया		
	जनपद-ऊधमसिंहनगर (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
11	बाजपुर		
12	खटीमा		
13	नानकमत्ता		
14	गूलरभोज		
15	काशीपुर		
16	सितारगंज		
17	काशीपुर (25 कु० तक के वाहन क्षमता हेतु)		
18	पन्तनगर (25 कु० तक के वाहन क्षमता हेतु)		

क्र० सं०	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)	काम्पैक्ट फीड (भूसा) ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)
1	2	3	4
	जनपद-पिथौरागढ (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
19	विण		
20	पांगू		
21	बारापट्टा		
22	गंगोलीहाट		
23	थल		
24	धारचूला		
25	बेरीनाग		
26	मूनाकोट		
27	बलुवाकोट		
28	डीडीहाट		
29	कनालीछीना		
30	मतकोट		
	जनपद-चम्पावत (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
31	नरियालगांव		
32	चम्पावत		
33	लोहाघाट		
34	टनकपुर		
35	बाराकोट		
	जनपद-बागेश्वर (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
36	शामा		
37	लीती		
38	कर्मी		
39	गरुड़		
40	बागेश्वर		
41	कपकोट		
42	कांडा		

क्र० सं०	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)	काम्पैक्ट फीड (भूसा) ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)
1	2	3	4
	जनपद—अल्मोड़ा (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
43	द्वाराहाट		
44	अल्मोड़ा		
45	ताड़ीखेत		
46	चौखुटिया		
47	सोमेश्वर		
48	देघाट		
49	धौलादेवी		
50	बाड़ेछीना		
51	तुराचौड़		
52	लमगड़ा		
53	भिकियासैण		
54	रानीखेत		
	जनपद—हरिद्वार (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
55	लण्ढौरा		
56	गैण्डीखत्ता / लालढांग		
	जनपद—देहरादून (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
64	देहरादून		
65	हरबर्टपुर		
66	कालसी		
67	लालटप्पर		
68	विकासनगर		
69	छरबा		
70	रुद्रपुर (देहरादून)		
71	झबरावाला		
72	ऋषिकेश		

क्र० सं०	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि दुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)	काम्पैक्ट फीड (भूसा) दुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)
1	2	3	4
	जनपद-चमोली (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
73	ग्वालदम		
74	पीपलकोटी		
75	हैलंग (जोशीमठ)		
76	सिमली (कर्णप्रयाग)		
77	चमोली		
78	जोशीमठ		
79	मण्डल		
80	धिंधराण		
81	गैरसैण		
82	भराडीसैण		
83	नन्दप्रयाग		
84	केदारकांठा		
85	बंगालीघाट		
86	घाट (नन्दानगर)		
87	देवाल		
88	नारायण बगड		
	जनपद-पौड़ी गढवाल (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
89	श्रीनगर		
90	कोटद्वार		
91	चमरिया		
	जनपद-रूद्रप्रयाग (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
92	रूद्रप्रयाग		
93	गौरीकुण्ड		
94	मक्कू		
95	खलियाड़बांगर		
96	सोनप्रयाग		
97	सुमाड़ी		

क्र० सं०	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)	काम्पैक्ट फीड (भूसा) ढुलान हेतु प्रति कु० दर जी०एस०टी० सहित (रु० में)
1	2	3	4
	जनपद—उत्तरकाशी (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
98	मातली		
99	बादसी		
100	फोल्ड		
101	थलकुण्डी		
102	गुन्दियाटगांव		
	जनपद—टिहरी गढवाल (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों के स्टेशन हेतु)		
103	नई टिहरी		
104	मुनि की रेती		
105	कोपड़धार		
106	कफोलगांव		

नोट:—

- उपरोक्त स्थानों से अतिरिक्त कही अन्यत्र स्थानों हेतु भेजे जाने पर निकटतम स्टेशन की दूरी की अनुमोदित दर के आधार पर प्रति कुन्तल, प्रति कि०मी० की दूरी की दर से उक्त स्थान का भुगतान किया जायेगा एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता को उक्त स्थान पर पशु-पक्षी आहार, साईलेज, काम्पैक्ट फीड ब्लाक, मिनरल मिक्सचर आदि अन्य सामग्री पहुँचाना होगा।
- पशु-पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक ढुलान की दरें पृथक-पृथक भरी जायें। दरें अंकों में साफ एवं स्पष्ट होनी चाहिए किसी भी प्रकार की काट-पीट या ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं होंगी।
- निविदादाता दरें अंकित करने के पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा सभी स्थानों/स्टेशनों की दरें अंकित कर ली है। एक भी स्थान/स्टेशन की दरें रिक्त अथवा अंकित न होने पर आपकी निविदा वित्तीय बिड हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की दरें अंकित करने से पूर्व सम्बन्धित स्टेशन/स्थान की दूरी एवं पहुच के बारे में अपने स्तर से भी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम—

पता—

कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)
पशु-पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लॉक की विभिन्न स्थानों को
आपूर्ति/दुलान हेतु निविदा शर्तें

- 1-निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायेगी।
- 2-निविदा की प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से पठनीय एवं स्पष्ट भरी जानी आवश्यक होगी। निविदा फार्म में भरी जाने वाली परिवहन दरों में किसी भी प्रकार की काट-पीट या ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं होगी।
- 3-निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹1180.00 (रु० एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) रुपये जी०एस०टी० सहित होगा। जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
- 4-निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) की बैबसाइट [www. ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org). से सीधे भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। बैबसाइट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ ₹1180.00 (रु० एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) जी०एस०टी० सहित का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा की शर्तों के अनुसार धरोहर राशि की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कैटिल फीड फैक्ट्री रुद्रपुर के नाम देय हो, मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5-निविदा लिफाफे में पंजीकृत डाक से अथवा कोरियर के माध्यम से पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाई पास रोड, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में दिनांक 04.06.2025 को अपरान्ह 12.30 बजे तक प्राप्त की जायेगी इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर **परिवहन हेतु निविदा** लिखना होगा। शीलबन्द निविदा सीधे संस्था के निविदा बॉक्स में भी दिनांक 04.06.2025 को अपरान्ह 12.30 बजे तक डाली जा सकती है तथा निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी।
- 6-निविदादाता को निविदा के साथ, नकद अथवा **Cattle Feed Factory Rudrapur** के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट ₹25,000.00 (रु० पच्चीस हजार मात्र) अर्नेस्टमनी जमा करनी आवश्यक होगी। अर्नेस्टमनी के बैगर निविदा विचार हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 7-निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को जमानत राशि पशु-पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर हेतु ₹4,00,000.00 (रु० चार लाख मात्र) एवं काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन हेतु ₹1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र) एवं पशु-पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर व काम्पैक्ट फीड ब्लॉक परिवहन दोनों में निविदा स्वीकृत होने पर ₹5,00,000.00 (रु० पांच लाख मात्र) जमानत राशि नकद अथवा एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में कैटिल फीड फैक्ट्री रुद्रपुर के नाम जमा करनी होगी।
- 8-न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को ऑचल पशु आहार निर्माणशाला के साथ ₹100.00 (रु० एक सौ मात्र) के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य अनुबन्ध करना होगा। इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9- अप्लाइड (A/F) फोर वाहन की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 10-कार्य अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि का होगा, जिसे संस्था द्वारा आवश्यकता पड़ने पर तीन-तीन माह की अवधि के लिये आगे दो बार बढ़ाया जा सकता है।
- 11-निविदादाता द्वारा परिवहन दरें गंतव्य स्थानवार प्रति कुन्तल के हिसाब से दी जायेगी, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा।
- 12- संस्था द्वारा पशु-पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लॉक के अतिरिक्त अन्य सामग्री भेजी जाती है। तो सम्बन्धित परिवहनकर्ता निर्धारित दरों पर उसका दुलान करना होगा।

13— संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष से अथवा ट्रान्सपोर्टर द्वारा उपलब्ध कराये गये व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के 24 घण्टे के अन्दर संस्था को वाहन उपलब्ध कराना सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लिये अनिवार्य होगा। सूचना के निर्धारित अवधि तक भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पड़ता है, तो अधिक व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी।

14—टोल टैक्स, पुल टैक्स, आदि समस्त व्ययों का भुगतान सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जो निविदा के समय देय है। निविदा के उपरान्त पड़ने वाले नये टोल टैक्स, पुल टैक्स इत्यादि का व्यय—भार परिवहनकर्ता द्वारा रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

15—यदि परिवहनकर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा कि तीन नोटिस के उपरान्त सम्बन्धित परिवहनकर्ता का टैण्डर निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त कर लें।

16—पशु—पक्षी आहार के परिवहन एवं अनलोडिंग के बिलों का भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा ही किया जायेगा।

17—भेजे जाने वाले माल की गंतव्य स्थान तक पूर्ण मात्रा अच्छी एवं सही स्थिति में समय से पहुँचाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा। माल प्राप्ति की रसीद भी इस संस्था को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा।

18— संस्था द्वारा निविदा कराने के पश्चात यदि कोई नये स्थान पर पशु—पक्षी आहार की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर के आधार पर 05 से 10 कि०मी० की परिधि में सृजित स्थान की दर नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर मान्य होगी एवं उससे अधिक दूरी पर प्रति कि०मी० प्रति कुन्तल के आधार पर अनुमोदित होगी।

19— निविदा खुलते समय मात्र निविदादाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रहेगा। अधिकृत प्रतिनिधि की दशा में प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

20— निविदादाता/फर्म के पास स्वयं का कम से कम एक वाहन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु वाहन के पंजीयन की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे या फर्म (ट्रान्सपोर्टर) पंजीकृत हो, जिसका प्रमाण निविदा में संलग्न होना चाहिए।

21—वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर माल के खराब होने की स्थिति में क्षति हुए माल की प्रतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

22—निविदा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2019 के अधीन होगी।

23—गंतव्य स्थान तक माल को सुरक्षित पहुँचाने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्ता की होगी। किसी भी कारणों से माल के खराब होने की स्थिति में हुई क्षति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित परिवहनकर्ता का होगा। चालक/परिचालक द्वारा माल की लोडिंग/अनलोडिंग अपने सामने करवायी जायेगी एवं माल की प्राप्ति दी जानी अनिवार्य होगी। किसी कारणवश सम्बन्धित संस्था तक माल पूरा नहीं पहुँचता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्ता की होगी।

24—एक से अधिक स्थानों पर निविदा स्वीकृत होने पर परिवहनकर्ता को एक ही दिन में एक से अधिक स्थानों को मांग होने पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक स्थान हेतु अलग-अलग वाहन उपलब्ध कराना होगा।

25—निविदा 02 बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रेषित करनी है तथा लिफाफे के बाहर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना अनिवार्य होगा। पहले तकनीकी बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

26—निविदा में प्राप्त सभी स्थानों की न्यूनतम दरें तब तक स्वीकृत नहीं मानी जायेगी, जब तक सम्बन्धित संस्था/दुग्ध संघ इसे स्वीकार न कर लें।

27—निविदा फार्म में दिये गये तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के लिफाफों में रखे जाने वाले प्रपत्रों का विवरण—

(अ) तकनीकी बिड

तकनीकी बिड के लिफाफे में निविदादाता को तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म को तकनीकी आधार पर अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

(अ) परिवहनकर्ता का जी0एस0टी0 नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति।।

(ब) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।।

(स) निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(द) वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस एवं परमिट जो निविदा के समय वैध हो के सभी प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(य) निविदा मूल्य जमा रसीद की मूल प्रति।

(र) धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी ड्राफ्ट/संस्था की रसीद की मूलप्रति।

(ब) वित्तीय बिड

वित्तीय बिड के लिफाफे में इस निविदा में दिये गये वित्तीय बिड प्रपत्र में दिये गये विभिन्न स्थानों की पृथक-पृथक दरें अंकित कर रखा जाय।

28—पशु आहार निर्माणशाला एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसकी अपील एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पास सुरक्षित रहेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

29—किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित रहेगा।

30—दिनांक 14.02.2025 को निविदा में प्रतिभाग करने वाले सफल निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र/फार्म शुल्क हेतु छूट प्रदान की जायेगी। तथा पूर्व की निविदा में धरोहर धनराशि इस निविदा हेतु मान्य होगी। उक्त निविदा में जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के रसीदों की सत्यापित प्रति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

31—सफल निविदादाता को संस्था की "ख" श्रेणी की सदस्यता लेनी होगी।

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर।

घोषणा:— मैंने उपरोक्त समस्त दरें अपने विवेक से दी है, तथा दी गयी समस्त शर्तों से सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर किये गये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम—